

जिला आवेदन संख्या.....(जिला विभाग द्वारा भरा जाएगा)



झारखण्ड सरकार  
ऊर्जा विभाग  
Jharkhand Renewable Energy Development Agency  
(JREDA)



Application Form for Solar Water Pump Set

सोलर पम्पसेट के लिए आवेदन का विहित प्रपत्र

1. नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. स्थायी पता/पत्राचार का पता –ग्राम/मोहल्ला/सड़क/तालुका : .....
- .....डाकघर..... पंचायत .....

Self Attested Photo  
of Beneficiary /  
लाभार्थी द्वारा स्वप्रमाणित  
फोटो

प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....पिनकोड .....

4. श्रेणी : अन्य पिछड़ा वर्ग /OBC  समान्य /Gen  अनुसूचित जाति /SC  अनुसूचित जनजाति/ST

5. आधार प्रामाणीकरण.....(अंतिम चार अंक एवं जिला अधिकारी द्वारा सत्यापित)

6. मोबाईल/फोन नं० : ..... 7. ईमेल आईडी : .....

8. लाभार्थी मौजूदा पम्प उपयोग करते हैं : हां  नहीं  यदि हां तो निचे पूर्ण विवरणी भरें।

मौजूदा पम्प क्षमता :.....(एच.पी), मौजूदा पम्प का प्रकार सतह/surface  सबमर्सिबल/Submersible पम्प

ऊर्जा दक्षता पम्प हां  नहीं  एवं पम्प किस ईंधन पर कार्यरत है : बिजली  डीजल  जनरेटर

(\*नोट : यदि लाभार्थी पम्प चलाने के लिए बिजली का उपयोग कर रहे हैं या जहाँ पर पम्प लगाया जाना है वहाँ बिजली की उपलब्धता है तो वे पीएम कुसुम –बी योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। केवल स्टैंड अलोन डीजल चालित पम्प का उपयोग करने वाले किसान और जिन किसानों के पास बिजली उपलब्ध नहीं है वे किसान इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं।)

9. सिंचाई के लिए पानी का स्रोत : कूप  बोरवेल  तलाब  नहर  नदी

10. पानी का जलस्तर.....( केवल बोरवेल / कूप के लिए)

11. पम्प लगाने के स्थान का पूर्ण विवरणी ग्राम/मोहल्ला/सड़क/तालुका : .....

.....डाकघर..... पंचायत .....

प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....पिनकोड .....

12. लाभार्थी के भूमि का विवरण.....एकड़ एवं.....वर्ग मीटर में।

13. लागान रसीद की अंतिम भुगतान की तिथि : तारीख..... महीना.....वर्ष.....

14. आवश्यक सोलर पम्प क्षमता (एच.पी): 2 एच.पी.  3 एच.पी.  5 एच.पी.  AC पम्प  DC पम्प  Surface पम्प

Submersible पम्प  बोरवेल का आकार/व्यास .....(फिट में) एवं बोरवेल की गहराई .....(फिट में) \*नोट: भरना अनिवार्य है।

15. एकल किसान : हाँ  नहीं  (अगर हाँ तो Annex 1 भरे)/किसानों का समूह : हाँ  नहीं  (अगर हाँ तो Annex 1, 2 भरे)

16. प्रमुख फसल का विवरणी : रबी  खरीफ  जायद  (किसान जिन फसल की खेती कर रहे हैं उस पर निशान लगाए) अथवा अन्य कोई फसल.....

\*नोट: कोई भी एकल किसान और किसान समूह योजना के तहत एक से अधिक पम्प के लिए हकदार नहीं होंगे।

17. आवेदन पत्र पर एक स्वहस्ताक्षरित फोटो (पासपोर्ट साईज) के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें

1. पहचान पत्र (आधार कार्ड)
2. आवासीय प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, बिजली बिल)
3. जमीन का अद्यतन लागान रसीद
4. कार्य प्रारंभ होने से पहले अधिष्ठापन स्थल पर निर्धारित व्यास /साईज का बोरिंग अच्छी स्थिति में उपलब्ध कराने की घोषणा आवेदन में या आवेदन के साथ अनुलग्नक-1 जमा करें।
5. एक किसान /किसान समूह को एक से अधिक सोलर पम्प नहीं दिया जा सकता है
6. नोटरी से निर्गत घोषणा पत्र।

**Signature of Beneficiary /लाभुक का हस्ताक्षर या बायें अंगठे का निशान : -**

लाभुक का नाम : .....

तिथि : .....

स्थान : .....

**जिला कार्यालय के उपयोग के हेतु**

1.1. क्या लाभार्थी सीमांत किसान है : हाँ  नहीं  (‘√’ निशान लगाए)

(\*नोट : सीमांत किसान का अर्थ है 1 हेक्टेयर (2.5 एकड़) तक की कृषि भूमि (मालिक, किरायेदार या बटाईदार के रूप में) खेती करने वाला किसान।

1.2 क्या लाभार्थी में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की है : हाँ  नहीं  (‘√’ निशान लगाए)

(कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग द्वारा किसान को जारी स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन करें।)



## Annexure 1



### घोषणा पत्र (Declaration Form)

मैं.....पिता.....ग्राम.....  
पंचायत.....प्रखण्ड.....जिला.....झारखण्ड का  
निवासी हूँ। शपथ पूर्वक एकरार करता हूँ, मेरा स्थायी, पत्राचार का पता एवं अन्य विवरणी निम्नवत् है:-

#### 1. स्थायी पता :-

नाम : .....पिता/पति का नाम.....  
ग्राम/मोहल्ला/सड़क : .....डाकघर..... पंचायत .....  
प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....पिनकोड .....

#### 2. पत्राचार का पता :-

नाम : .....पिता/पति का नाम.....  
ग्राम/मोहल्ला/सड़क : .....डाकघर..... पंचायत .....  
प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....पिनकोड .....

3. यह कि ग्राम..... पंचायत..... प्रखण्ड..... के अन्तर्गत  
रैयती/खरीदगी जमीन कुल रकबा.....(एकड़) खाता नम्बर..... खसरा नम्बर.....जो  
मेरे ..... के नाम से दर्ज है, जिसका लगान का रसीद माह.....20..... तक जमा है। रसीद का छायाप्रति  
(हस्ताक्षरित) संलग्न है।

4. खतियानी जमीन के स्थिति में वंशावली का पूर्ण ब्यारा जिसमें आवेदक का स्थान तथा कुल रकबा के अंश का विवरण स्पष्ट वर्णित है।  
(वंशावली विवरण संलग्न)

5. मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में केन्द्र तथा राज्य से प्रायोजित योजना के अंतर्गत सोलर वॉटर पम्प का लाभ नहीं लिया  
गया है।

6. उपरोक्त में निहित जमीन का ब्यौरा मेरे नाम पर है एवं कोई और उस जमीन के नाम पर सोलर वॉटर पम्प का लाभ नहीं लिया है।

7. उपरोक्त में निहित जमीन का ब्यौरा मेरे..... के नाम पर है, और मेरे अलावा कोई और उसका अधिकारिक  
दावा करके सोलर पम्प नहीं ले सकता है। (घोषणा पत्र जिसके नाम पर जमीन है संलग्न)

8. पूर्व में मेरे पास कोई वॉटर पम्प :- हाँ  नहीं  अगर हाँ तो उसका विवरण.....

9. पम्प लगाने के स्थान पर बिजली की उपलब्धता : हाँ  नहीं  (भरना अनिवार्य है)

10. यह कि मेरे अंश कि सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल रकबा ..... एकड़ में ..... फीट गहराई का.....  
बोरवेल/कूआ उपलब्ध है जिसमें गर्मी के सीजन में पानी का लेवल.....फीट की गहराई पर है।

11. सरकार द्वारा जेडा के माध्यम से अनुदानित दर पर प्राप्त सिंचाई हेतु सोलर वाटर पम्प सिस्टम की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरान्त सभी तरह की सुरक्षा की जावाबदेही मेरी होगी एवं इसका उपयोग सिंचाई कार्य हेतु करुगा एवं सोलर पम्प का विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा।
12. निदेशक जेडा ("Director JREDA" Payable at "Ranchi") के नाम से लाभुक अंशदान की राशि रु.....  
... का बैंक नाम.....बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....  
समर्पित तिथि.....के साथ समर्पित कर रहा हूँ।
13. सोलर प्लांट की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

**Signature of Beneficiary /लाभुक का हस्ताक्षर या बायें अंगठे का निशान : –**

लाभुक का नाम : .....

तिथि : .....

स्थान : .....

### जिला स्तरीय कमीटी द्वारा अनुशंसा

आवेदक के आवेदन को जिला स्तरीय कमीटी द्वारा जाँचोपरान्त अनुमोदित किया जाता है। .....

.....

अनुशंसा करने वाले नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर :

नाम : .....

पदनाम : .....

दुरभाष संख्या : .....

मुहर : .....



## Annexure 2



समूह के मुखिया का नाम : .....  
आवासीय पता/स्थायी पता : .....

समूह के मुखिया का भूमि विवरण : .....

नाम,पता एवं समूह के सदस्यों का भूमि विवरण :-

1. नाम : .....पता : .....  
समूह के सदस्यों का भूमि का विवरण .....(एकड़/कट्ठा में)
2. नाम : .....पता : .....  
समूह के सदस्यों का भूमि का विवरण .....(एकड़/कट्ठा में)
3. नाम : .....पता : .....  
समूह के सदस्यों का भूमि का विवरण .....(एकड़/कट्ठा में)
4. नाम : .....पता : .....  
समूह के सदस्यों का भूमि का विवरण .....(एकड़/कट्ठा में)

1. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :
2. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :
3. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :
4. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :

नोट : अगर किसान समूह में चार से ज्यादा किसान है, तो समूह के किसान अपनी जरूरी विवरणी Annexure-2 का एक और कॉपी भरके संलग्न करें।

**समूह के प्रत्येक व्यक्तिगत किसानों द्वारा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज**

1. समूह के सभी किसानों का पहचान पत्र (आधार कार्ड) 2. समूह के सभी किसानों का आवासीय प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, बिजली बिल) 3. समूह के सभी किसानों का जमीन का अद्यतन लगान रसीद 4. समूह के सभी किसानों की एक स्व-सत्यापित हाल की फोटो।

**शपथ-पत्र**  
(नोटरी से निर्गत)

मैं.....पिता.....ग्राम.....  
पंचायत.....प्रखण्ड.....जिला.....झारखण्ड  
का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक एकरार करता हूँ, मेरा स्थायी एवं पत्राचार का पता एवं विवरणी निम्नवत् है:-

**1. स्थायी पता :-**

नाम : .....पिता/पति का नाम.....

ग्राम/मोहल्ला/सड़क : .....डाकघर..... पंचायत .....

प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....पिनकोड .....

**2. पत्राचार का पता :-**

नाम : .....पिता/पति का नाम.....

ग्राम/मोहल्ला/सड़क : .....डाकघर..... पंचायत .....

प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....पिनकोड .....

**3. यह कि ग्राम..... पंचायत..... प्रखण्ड..... के अन्तर्गत**

रैयती/खरीदगी जमीन कुल रकबा.....(एकड़) खाता नम्बर..... खसरा नम्बर.....

जो मेरे ..... के नाम से दर्ज है, जिसका लगान का रसीद माह.....20..... तक जमा है। रसीद का

छायाप्रति (हस्ताक्षरित) संलग्न है।

**4. खतियानी जमीन के स्थिति में वंशावली का पूर्ण ब्यारा जिसमें आवेदक का स्थान तथा कुल रकबा के अंश का विवरण स्पष्ट वर्णित है। (वंशावली विवरण संलग्न)**

**5. मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में केन्द्र तथा राज्य से प्रायोजित योजना के अंतर्गत सोलर वॉटर पम्प का लाभ नहीं लिया गया है।**

**6. उपरोक्त में निहित जमीन का व्यौरा मेरे नाम पर है एवं कोई और उस जमीन के नाम पर सोलर वॉटर पम्प का लाभ नहीं लिया है।**

**7. उपरोक्त में निहित जमीन का व्यौरा मेरे..... के नाम पर है, और मेरे अलावा कोई और उसका अधिकारिक दावा करके सोलर पम्प नहीं ले सकता है। (घोषणा पत्र जिसके नाम पर जमीन है संलग्न)**

**8. पूर्व में मेरे पास कोई वॉटर पम्प :-** हाँ  नहीं  अगर हाँ तो उसका विवरण.....

**9. पम्प लगाने के स्थान पर बिजली की उपलब्धता :** हाँ  नहीं

**10. यह कि मेरे अंश कि सिचाई हेतु उपलब्ध कुल रकबा ..... एकड़ में ..... फीट गहराई का..... बोरवेल/कुँआ उपलब्ध है जिसमें गर्मी के सीजन में पानी का लेवल.....फीट की गहराई पर है।**

11. सरकार द्वारा जेडा के माध्यम से अनुदानित दर पर प्राप्त सिंचाई हेतु सोलर वाटर पम्प सिस्टम की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरान्त सभी तरह की सुरक्षा की जावाबदेही मेरी होगी। एवं इसका उपयोग सिंचाई कार्य हेतु करुगा एवं सोलर पम्प का विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा।
12. निदेशक जेडा (Director JREDA Payable at Ranchi) के नाम से लाभुक अंशदान की राशि रु.....  
का बैंक नाम.....बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....  
समर्पित तिथि.....के साथ समर्पित कर रहा हूँ।
13. सोलर प्लांट की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

**Signature of Beneficiary /लाभुक का हस्ताक्षर या बायें अंगठे का निशान : –**

लाभुक का नाम : .....

तिथि : .....

स्थान : .....